संख्या- 37/ पी-1205/अड्तीस-9-2014-81(पीएमजीएसवाई)/2013

प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 27 नवम्बर, 2014**

विषय-प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3314/एफ-32/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2014-15, दिनांक -24-11-2014 व शासन के पत्र संख्या-पी-519/अड्तीस-9-14-81(पीएमजीएसवाई)/2013, दिनांक-23-05-2014, पत्र संख्या-पी-737/अड्तीस-9-2014-81(पीएमजीएसवाई)/2013, दिनांक-07.08.2014, पत्र संख्या -पी-836/अड्तीस-9-2014-81(पीएमजीएसवाई)/2013, दिनांक-20-08-2014 तथा पत्र संख्या-पी-976/अडतीस-9-2014-81(पीएमजीएसवाई)/2013, दिनांक-16-10-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज-10 हेतु विश्व बैंक सहायतित आर0आर0पी0-2, बैच-3 हेतु वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 18,46,00,00,000.00 (रूपये अट्ठारह अरब छियालीस करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से भारत सरकार के पत्र संख्या-पी-17024/26/2012-आर0सी0(पार्ट) (एफ0टी0एस0नं0-24535), दिनांक-21-11-2014 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू071,91,00,000.00 (रूपये इकहत्तर करोड़ इक्यानबे लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- धनराशि जिन मदो के लिये स्वीकृत की जा रही है, व्यय उसी मदों में किया जाय, अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

(3)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5)- उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के नाम से स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ में खुले बचत बैंक खाता संख्या-10616665805 में तत्काल जमा किया जाय तथा उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व संगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

-2/

http://shdsamajsh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के0-100/रा0-के0) -24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या- 37/ पी-1205 (1)/अड़तीस-9-2014, तद दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक (ग्रामीण सम्पर्कता), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
6- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in